न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– राजकेश मीणा (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या 181/2022

प्रार्थीगण :–

1. भैराराम पुत्र श्री गंगाराम
2. हेमाराम पुत्र श्री गंगाराम
3. मालाराम पुत्र श्री आसूराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम डउकियो का बास चेराई तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. धोंकलराम पुत्र श्री राजूराम
2. हिमताराम पुत्र श्री राजूराम
3. अमानाराम पुत्र श्री राजूराम
4. जेठाराम पुत्र श्री लावूराम
5. बगताराम पुत्र श्री लावूराम
6. किसनाराम पुत्र श्री लाबूराम
7. मोहनराम पुत्र श्री रामूराम
8. भवरूराम पुत्र श्री रामूराम
9. भियाराम पुत्र श्री रामूराम
10. भानाराम पुत्र श्री रामूराम
11. दीपाराम पुत्र श्री बुद्धाराम
12. ओमाराम पुत्र श्री आदूराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम डउकियो का बास चेराई तहसील तिवरी जिला जोधपुर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धेवरराम विश्नोई

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

निर्णय :–

दिनॉक 28.9.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारो की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 2961 रकबा 4.4192 हेक्टर मौजा ग्राम डउकियो का बास पटवार हल्का चेराई में आई हुई है। उक्त वागद्रस्त भूमि के सहखातेदारान व प्रार्थीगण क मध्य कोई किसी प्रकार का विवाद नही है तथा उपरोक्त वागद्रस्त भूमि की समा पर कंटीले तार खींचकर तारबंदी कर रखी हैं। तथा वादग्रस्त भूमि के पश्चिम तरफ थोडी दूरी पर खसरा सख्या 3067/2957 की भूमि आई हुई है जिनके व खसरा सख्या 2959 के खातेदारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद चल रहा है जिसके बाबत सींमांकन फर्द भी अलग अलग तारीखो में बनी हुई है। जिससे यह स्पष्ट है कि नक्शा ट्रेस में ओवरलोपिंग है जिस वजह से मौके पर सीमांकन कार्य नही हो रहा है। लेकिन प्रार्थीगण की भूमि खसरा सख्या 2959 के मध्य की सीमा पर आज से करीब 35–40 वर्षो से तारबंदी की हुई है तथा सीमा के पास गैर मुमकिन ढाणी बनी हुई है। अप्रार्थीगण के द्वारा गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर नक्शा ट्रेस में ओवरलोपिग होने के बावजदू भी हमारी वादग्रस्त भूमि में दखलदांजी करनी शुरू कर दी है तथा वक्त सेन्टलमेन्ट से हजॉ गैर मुमकिन ढाणी कटी हुई है व बनी हुई है। उसके आगे तक गलत सीमांकन कर पत्थर के जूटे रोपने हेतु आमदा हो गए तब प्रार्थीगण ने रोका तो अप्रार्थीगण ने जबरन पुलिस ईमदाद के साथ गलत नक्शे के आधार पर झूठा नाप बताकर हमारी भूमि में पत्थरगडडी करने हेतु उतारू है। मौके पर कपास की फसल भी बो रखी है पत्थरगडडी में प्रार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया है जिस पर प्रार्थीगण के कब्जा सुदा भूमि में न्यायालय के आदेश की आड में कब्जा करना चाहते है। जिसका इनको कोई अधिकार नही है। हाल ही में दिनॉक 14.06.2022 को अप्रार्थीगण कुछ राजस्व कर्मचारियों को मौके पर आकर प्रार्थीगण को धमकीयॉ दी कि पत्थरगडडी के जरिये पत्थर रोपेगे लेकिन नही माने तो पडौसियान से समझाईस करवाई फिर भी जबरन तार खीच दिए जिससे मौके पर विवाद हो गया। तथा फौजदारी प्रकरण भी दर्ज हो गए। इस प्रकार से प्रार्थीगण के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला भी अपने पक्ष में होना बताया । व अन्त में ईस्तदुआ में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दू किए जाने की गॉग की कि पत्थरगडडी के जरिये प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नही करे।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेष किया गया तथा जबाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसमे बताया कि खसरा सख्या 2961 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा सख्या 2961 के दक्षिणी सीमा पर खसरा सख्य 2960 की भूमि है तथा उक्त खसरा के दक्षिणी दिशा में खसरा सख्या 2959 की भूमि है । तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य की सीमा पर कटीले तार खीचने की बात सरासर गलत बताई है। प्रार्थीगण के द्वारा वादपत्र में खसरा सख्या 2959 के खातेदारो को जानबूझकर बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की सीमा के मध्य खसरा सख्या 2959 के खातेदारो का कब्जा व काश्त है। खसरा सख्या 3067/2957 के खातेदारों तथा अप्रार्थीगण की मध्य की सीमा को लेकर विवाद था जिस बाबत अप्रार्थीगण की ओर से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तत्पश्चात पत्थरगडडी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसकी अपील खसरा सख्या 2961 के खातेदारों के द्वारा

माननीय अपीलीय न्यायालय में की गई जिस पर इस न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। तत्पश्चात न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार तिवरी द्वारा टीम गठित की जाकर दिनॉक 14.06.2022 को पत्थरगडडी का कार्य किया गया जिसकी रिपोर्ट जबाब के साथ पेश की गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझकर पत्थरगडडी के खुटे तोड दिए गए जिस कारण प्रार्थीगण के विरूद्व पुलिस थाना ओसियॉ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जिसका मुकदमा सख्या 148/2022 इस प्रकार से प्रार्थीगण स्वय द्वारा कानून हाथ में लेकर पत्थरगडडी के खुटे तोडकर स्थगन प्रार्थना पत्र पेष किया है। नक्शा ट्रेस में ओवर लोपिग होने की बात भी प्रार्थीगण द्वारा गलत होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा वक्त पत्थरगडडी मौके पर किसी प्रकार की कोई फसल बोई हुई होना गलत अंकित किया है। प्रार्थीगण के द्वारा पत्थरगडडी करने के पश्चात दिनॉक 14.06.2022 को रात्रि मे जबरन खुटे तोडकर जबरन कब्जा कर कपास की फसल बोई है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण स्वय अतिचारी है तथा अतिचारी किसी प्रकार की कोई ईस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं तथा अप्रार्थीगण की खुटे तोडने के कारण खडी फसल खराब हो रही है जिससे अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को हा रही है।

अप्रार्थीगण को जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात पत्रावली में उभय पक्षकारानो की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए विधि द्वारा स्थापित किए तीनो बिन्दूओ की समीक्षा किया जाना उचित है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थीगण के द्वारा यह तथ्य अंकित है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगडडी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पत्थरगडडी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा पत्थरगडडी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के पश्चात विधिअनुसार तहसीलदार तिवरी द्वारा मौके पर पत्थरगडडी की गई तथा मौके पर खुटे वगैरह रोपे गए तथा उक्त खुटे वगैरह प्रार्थीगण द्वारा तोड दिए थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 148/22 पुलिस थाना ओसियॉ में दर्ज है । इस प्रकार से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थीगण स्वयं अतिचारी है तथा वादग्रस्त भूमि जिस पर पत्थरगडडी की कार्यवाही की गई जिस पर जबरन अतिकमण कर न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रकिया कें अनुसार अतिचारी किसी प्रकार की कोई ईस्तदुआ न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

<u>सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति</u> :–

प्रार्थीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किए गए है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में अप्रार्थीगण जबरन दखलदांजी कर रहे है जबकि प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण स्वय अप्रार्थीगण के की हुई पत्थरगडडी की कार्यवाही में जबरन दखलदांजी की हैं तथा

अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज है। जो प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है। अप्रार्थीगण कि की हुई खुटे तथा तारबंदी आदि तोडे है जिससे अवारा पशु अप्रार्थीगण को नुकसान आदि पहुँचा रहे है। इस प्रकार से उक्त विवेचन के आधार पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को नही होकर अप्रार्थीगण को हो रही हैं । इसलिए उक्त बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का उद्देश्य स्थगन आदेश के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित पत्थरगढ्ढी के आदेश में व्यवधान पैदा करना मात्र है अतः न्यायालय आदेश की पालना हेतु दिनांक 21.06.2022 को निरस्त किया जाना उचित है

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तथा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 28-9-22 को सरेईजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ